(आडर 20 रूल 6–7,जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code AppendixD–।)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़ जिला चूरू, राजस्थान।

व इजलास

किशोर सिंह बनाम स्टेट

दावा बाबत – 88 आरटीए व रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 11 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **न्यायालय**

बहाजरी वादी गण अधिवक्ता श्यामसुन्दर खंडेलवाल मिनजानिब मुद्धई पैरोकाराज मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमसर तहसील सुजानगढ की जमाबंदी संवंत 2073–76 के खाता सं. 33 के खसरा नं. 297,586/297 वादी किशोर सिंह के पिता का नाम नंदसिंह के स्थान पर रामसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार सुजानगढ़ आदेश व डिक्री के मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। तहसीलदार सुजानगढ को अलग से तहरीर जारी हो। बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.07.2019 माह जुलाई 2019

23/7/19

उपखण्ड अधिकारी

सुजानगढ